

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या—172/20-21(६००)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्चाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक—2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुख्यमंत्री, निदेशक, भू—अर्जन—सह—पिशेष सचिव, राजराज एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा०म०गिति—119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजराज कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि के मौजा— गोडूतोपा, थाना नं— १८८, खाता संख्या— १८ प्लॉट संख्या— ३५७, रक्वा— १,८००८३ एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— २ के पृष्ठ संख्या— ५२५ पर जमाबंदी रैयत मुख्यमंत्री—पिता शानु महेश्वर के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्ता भू—खण्ड से क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक— 19/9/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">०३/९/२०२०</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर  
गांव अग्निशम सख्ता 172/20-21(भू) / 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

पर्वती भूमि  
पर्वती भूमि  
पर्वती भूमि

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि गौजा— गोविन्दपुर थाना नं—  
180, खाता नं— १४ खेरारा नं— ३५८, रक्षा— १.०० एकड़ रो संवंधित आपके नाम से हो नं— VIII के पंजी II भाग २ के पृष्ठ ५२५ पर दर्ज जगावंदी प्रथम दृष्टया राजरव कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जौचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संवंध में दिनांक— १७/७/२०२० को समय— ११.०० बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न—I भूगि वंशोवरती से संवंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म डे एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संवंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दरतावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जगावंदी के संवंध में युक्ति—युक्त निर्गत लेते हुए विधिराम्भ अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

०३/७/२०२०  
अंचल अधिकारी  
२०/७-४८

तिथि :—

रणन :—

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

०१।१।८२  
१९।१।८२

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर